राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2925/2024

हीरा लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, सेठ आनन्दी लाल पोद्दार बधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2024
आदेश की दिनांक : 05.11.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 13.08.2024 को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध रूप से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी ने पहले वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ सहायक के पद पर अपनी पदोन्नति छोड़ दी थी और जिसके कारण अब वह पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया है (अनुलग्नक–1)। आदेश दिनांक 12.09.2013 द्वारा अपीलार्थी को क्लर्क ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया था और दिनांक 13.09.2013 को डाइट गोनेर के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 22.11.2019 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी ने वरिष्ठ सहायक के पद पर अपनी पदोन्नति छोड़ दी (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्तमान नियुक्ति स्थान सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में दिनांक 04.04.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर फिर से पदोन्नत किया गया, जिसके अनुसार उसने दिनांक

07.03.2024 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.06.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में नियुक्त किया गया, जिसके बाद अपीलार्थी ने पदस्थापन स्थान आवंटित करके दिनांक 29.06.2024 को कार्यभार ग्रहण किया। अब प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 13.08.2024 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति रद्द कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति छोड़ने के कारण, अपीलार्थी वर्ष 2023–24 के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है, जबकि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति छोड़ने के बाद उसे वर्ष 2022 में फिर से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसके लिए उसने पहले ही एलडीसी के रूप में 3 वर्षों से अधिक समय तक कर्तव्यों का पालन किया है और अब प्रत्यर्थी विभाग फिर से अवैध शर्त लगा रहे हैं। अपीलार्थी पहले ही यूडीसी के रूप में पदोन्नति के लिए 3 साल इंतजार कर चुका है और अब एएओ के रूप में अपीलार्थी की पदोन्नति रद्द करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए आदेश खारिज कर दिया गया था।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.08.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदोन्नत पद पर कार्य करने के लिए जारी रखें तथा उसे पदोन्नत पद से मुक्त न करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी कार्मिक को वर्ष 2013 में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई एवं तत्पश्चात वर्ष 2018–2019 की रिक्तियों के प्रति अपीलार्थी कार्मिक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी कार्मिक द्वारा वर्ष 2018–2019 में प्रदान की गई पदोन्नति का परित्याग किया गया जिससे नियमानुसार अपीलार्थी को आगामी दो वर्ष उपरांत वर्ष 2021–2022 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई एवं अपीलार्थी कार्मिक द्वारा वर्ष 2021–2022 की रिक्तियों के प्रति प्रदान की गई पदोन्नति पर दिनांक 04.04.2022 को राजकीय सेठ आन्नदी लाल पोद्दार मूक संस्थान जयपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के प्रति प्रदान की गई पदोन्नति का चयन आदेश दिनांक 21.03.2022 की प्रति एवं पदस्थापन आदेश दिनांक 31.03.2022 की प्रति अनुलग्नक आर–1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी कार्मिक का नाम वरिष्ठ सहायक पद की वरिष्ठता सूची में वर्ष 2018–2019 में प्रदान की गई

पदोन्नति के फलस्वरूप वर्ष 2018–2019 में दर्ज कर लिया गया एवं उक्त दर्ज वरिष्ठता के आधार पर ही अपीलार्थी को त्रुटीवश से वर्ष 2023–2024 की रिक्तियों के प्रति सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर चयनित कर लिया गया जबकि नियमानुसार अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2021–2022 से वरिष्ठ सहायक पद पर प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठ सहायक की वर्ष 2021–2022 की वरिष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने की अधिकारिता धारित करता है। इसलिए अपीलार्थी के वर्ष 2018–2019 की वरिष्ठता सूची में किये गये त्रुटीपूर्ण नामांकन को संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर के आदेश दिनांक 13.08.2024 (अनुलग्नक आर–2) के द्वारा विलोपित किया गया। नियमानुसार वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है तथा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अनुभव में 02 वर्ष की छूट प्रदान की गई है अर्थात वर्तमान में भी वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, अपीलार्थी कार्मिक नियमानुसार डीपीसी वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं डीपीसी वर्ष 2023–2024 में आवश्यक अनुभव ही शर्त ही पूरी नहीं करता है इसलिए प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2023–2024 में प्रदान की गई पदोन्नति को प्राप्त करने की अधिकारिता धारित नहीं करता है। इसलिए आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी कार्मिक के सहवन से हुए त्रुटीपूर्ण चयन को निरस्त/अपास्त किया गया है जिससे अपीलार्थी कार्मिक प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य